



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2007/श्रावण 9, 1929

No. 156]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2007/SRAVANA 9, 1929

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2007

### आयोग के कर्मचारिवृन्द के लिए सेवा विनियम

फा. सं. 2/2(1)/2006-के.वि.वि.आ.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तों) विनियम, 2002 और तारीख 15 मार्च, 2007 के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तों) विनियम, 2007 को अधिक्रांत करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

### अध्याय - 1

#### प्रारंभिक

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(क) इन विनियमों का पूरा नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारिवृन्द की भर्ती, नियंत्रण और सेवा शर्तों) विनियम, 2007 है।

(ख) ये विनियम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये विनियम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उन अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को लागू होंगे जिनका इस विनियमों के विनियम 5 में उल्लेख किया गया है :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व किसी पद पर नियुक्त या पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने वाला आयोग का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे प्रारंभ पर इन विनियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन उसी पद पर, जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व, धारण कर रहा था, नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

### 3. परिभाषाएं

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में -

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है,

(ख) 'नियुक्ति अधिकारी' से निम्नलिखित अभिप्रेत है :-

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'क' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'ख' और 'ग' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सचिव, और

(iii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'घ' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सहायक सचिव है ।

(ग) 'अध्यक्ष' से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) 'आयोग' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'क' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में अध्यक्ष,

(ii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'ख' और 'ग' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सचिव ; और

(iii) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत समूह 'घ' पदों के समतुल्य सभी पदों के संबंध में सहायक सचिव है ।

- (च) 'कृत्य' से आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित सभी कार्य अभिप्रेत तथा शामिल है ;
- (छ) 'सदस्य' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (ज) 'कर्मचारिवृन्द' में सभी श्रेणियों के अधिकारी और कर्मचारी, दोनों ही शामिल हैं, चाहे वे विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा स्थायी तौर पर आमेसन के द्वारा अथवा लघु अवधि अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए हों ;
- (झ) गैर सरकारी संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थायें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इत्यादि के अधिकारियों की नियुक्ति 'लघु अवधि अनुबंध' के आधार पर सीमित अवधि के लिए आयोग में अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी ।

इन विनियमों में प्रयुक्त उन शब्दों और पदों, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

### अध्याय - 2

#### पदों का वर्गीकरण/कर्मचारिवृन्द की स्वीकृत संख्या

4. पदों का वर्गीकरण - आयोग में पदों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

क्रम सं.	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये से न्यून न हो ;	समूह 'क' के समतुल्य
2.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 9000 रुपये से न्यून न हो परन्तु 13,500 रुपये से न्यून हो ;	समूह 'ख' के समतुल्य
3.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये से अधिक हो परन्तु 9,000 रुपये से न्यून हो ;	समूह 'ग' के समतुल्य
4.	वह पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये अथवा उससे न्यून हो ;	समूह 'घ' के समतुल्य

### 5. कर्मचारिवृन्द की स्वीकृत संख्या

आयोग में उन स्वीकृत पद, जो विभिन्न वेतनमानों में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों के समतुल्य हैं, का वर्गीकरण किया जाएगा जिन्हें निम्नलिखित तालिका में उपदर्शित किया गया है :-

पद	वेतनमान	केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पद	पद संख्या
सचिव	18400-500-22400	संयुक्त सचिव	1
प्रमुख	18400-500-22400	संयुक्त सचिव	4
संयुक्त प्रमुख	14300-400-18300	निदेशक	5
उप प्रमुख	12000-375-18000	उप सचिव	13
एकीकृत वित्त सलाहकार	12000-375-18000	उप सचिव	1
सहायक सचिव	10000-325-15200	अवर सचिव	2
सहायक प्रमुख	10000-325-15200	अवर सचिव	16
न्याय पीठ अधिकारी	10000-325-15200	अवर सचिव	2
प्रधान निजी सचिव	10000-325-15200	प्रधान निजी सचिव	4
वेतन तथा लेखा /ज्येष्ठ लेखा अधिकारी अधिकारी	8000-275-13500	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2
निजी सचिव	6500-200-10500	निजी सचिव	5
सहायक	5500-175-9000	सहायक	6
वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000	वैयक्तिक सहायक	7
आशुलिपिक	4000-100-6000	आशुलिपिक	4
स्वागतकर्ता एवं टेलीफोन आपरेटर	3050-75-3950-80-4590	अवर श्रेणी लिपिक	1
ड्राइवर	3050-75-3950-80-4590	ड्राइवर	4
वरिष्ठ चपरासी/ दफ्तरी	2610-60-3150-65-3540	दफ्तरी	2
चपरासी	2550-55-2660-60-3200	चपरासी	4
		<b>कुल</b>	<b>83</b>

### 6. नियुक्ति की पद्धति

आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां या तो सीधी भर्ती द्वारा अथवा अल्प अनुबंध

आधार पर अथवा अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर अथवा प्रोन्नति आधार पर निम्नानुसार की जाएंगी :-

पद	नियुक्ति की पद्धति
सचिव	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
प्रमुख	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति पर जिसमें लघु अवधि अनुबंध भी सम्मिलित है ।
संयुक्त प्रमुख	- यथोक्त -
उप प्रमुख	- यथोक्त -
एकीकृत वित्त सलाहकार	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
सहायक सचिव	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
सहायक प्रमुख	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति पर और लघु अवधि अनुबंध के आधार पर
न्यायपीठ अधिकारी	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
प्रधान निजी सचिव	प्रोन्नति पर, ऐसा न होने पर अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
वेतन तथा लेखा अधिकारी/ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
निजी सचिव	प्रोन्नति पर, ऐसा न होने पर अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
सहायक	अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर
वैयक्तिक सहायक	प्रोन्नति पर, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
आशुलिपिक	सीधी भर्ती द्वारा
स्वागतकर्ता एवं टेलीफोन आपरेटर	सीधी भर्ती द्वारा
ड्राइवर	सीधी भर्ती द्वारा
वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	प्रोन्नति द्वारा
चपरासी	सीधी भर्ती द्वारा

अल्प-अवधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति प्रारम्भ में पांच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी । इस अवधि के पश्चात् विस्तारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्रारम्भ में पांच वर्षों के लिए की जाएगी । इस अवधि के पश्चात् विस्तारण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

इन विनियमों के लागू होने के ठीक पूर्व आयोग में नियमित आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परंतु यह कि अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर किए गए कर्मचारी, यदि वे आयोग में स्थायी तौर पर आमेलित होने के इच्छुक हों, तो प्रतिनियुक्ति की दो वर्ष की अवधि पूरा होने पर आयोग में स्थायी तौर पर आमेलित होने के लिए अपना विकल्प दे सकते हैं और नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेकानुसार इस संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

#### 7. पदों का आबंटन

स्वीकृत पदों का विभिन्न कृत्यकारी क्षेत्रों में परस्पर आबंटन आयोग द्वारा समय-समय पर, किए गए विनिश्चय के अनुसार होगा।

#### 8. पदों को रिक्त रखने की शक्ति

विनियम 5 में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिसके द्वारा आयोग के लिए यह अपेक्षित हो कि प्रत्येक समय सभी श्रेणियों में या पदों पर कर्मचारी कार्यरत हों।

### अध्याय - 3

#### भर्ती तथा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

#### 9. नियुक्ति प्राधिकारी

कर्मचारिवृन्द की सभी नियुक्तियां इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

#### 10. अन्यत्र सेवा निबंधनों प्रतिनियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड

प्रतिनियुक्ति पर पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट- 1 में दिए गए अनुसार होंगे।

#### 11. सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड

सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट- 2 में दिए गए अनुसार होंगे।

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के द्वारा शासित होंगे।

#### 12. लघु अवधि अनुबंध पर नियुक्ति के पात्रता मानदण्ड

लघु-अवधि अनुबंध आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट -1 में दिये गए अनुसार होंगे।

#### 13. प्रोन्नत आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड

प्रोन्नति आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड परिशिष्ट - 3 में दिए अनुसार होंगे।

प्रोन्नति आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा शासित होंगे।

#### 14. रिक्तियों का आख्यापन

आयोग अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर, लघु अवधि अनुबंध द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए रिक्तियों की संख्या को उस रीति से आख्यापित करेगा जो वह उचित समझे तथा आयोग में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकेगा। अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के मामले में रिक्तियां भारत सरकार के सभी विभागों, सम्बद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा लघु अवधि अनुबंध के आधार पर विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के लिए सीमित समय के लिये प्रतिनियुक्ति हेतु गैर-सरकारी संस्थान जैसे कि विश्वविद्यालय, मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को परिचालित की जाएंगी। आयोग रिक्तियों का प्रचार ऐसे विज्ञापनों को जारी करके कर सकेगा। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में ऐसी रिक्तियों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।

#### 15. फार्मों को विहित करना और आवेदन के लिए शर्तें

आयंग, जैसा वह उचित समझे, वह फार्म जिसमें आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे, आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने की पद्धति, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अभिहित अधिकारी निहित कर सकेगा।

#### 16. आवेदनों पर कार्यवाही

चयन समिति आयोग में प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और इन पर आगे और कार्यवाई किए जाने के लिए कार्य की अपेक्षाओं तथा अभ्यर्थियों की पाठ्यक्रम संबंधी योग्यता के आधार पर छानबीन किए अभ्यर्थियों के संबंध में कार्यवाही करेगी।

- (ग) पेंशन/भविष्य निधि-केन्द्रीय सरकार के तस्थानी स्तर के कर्मचारियों के लिए यथा विहित पेंशन/सामान्य भविष्य निधि के उपबंध ही आयोग के स्थायी तौर पर आमेलित कर्मचारियों के लिए लागू होंगे ।
- (घ) चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2005 के अनुसार अनुज्ञेय होंगे ।
- (ङ.) केन्द्रीय सरकार में उपलब्ध कोई अन्य भत्ते तदनुसार केन्द्रीय सरकार नियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगे ।

### 21.2 वेतन नियतन (सीधी भर्ती )

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन तथा अन्य भत्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी स्तर के कर्मचारियों को यथा लागू पेंशन/सामान्य भविष्य निधि के उपबंध सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को लागू होंगे ।

### 21.3 वेतन नियतन (प्रोन्नति के मामले में )

प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा अन्य भत्तों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार के तत्स्थानी स्तर के कर्मचारियों को यथा लागू पेंशन/सामान्य भविष्य निधि के उपबंध प्रोन्नति पर नियुक्त कर्मचारियों को लागू होंगे ।

### 21.4 अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर, अल्पकालिक संविदा पर निबंधनों तथा शर्तों को अंतिम रूप देना:

अन्यत्र सेवा निबंधनों तथा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति को (वेतनमान से भिन्न) के केविविआ और उधारदाता संगठन के बीच परस्पर रूप से तय किया जाएगा । छुट्टी वेतन अंशदान, उपदान, पेंशन अंशदान सीपीएफ के संबंध में सेवा निबंधनों को अध्यक्ष के अनुमोदन से इस प्रकार अनुज्ञात किया जाएगा जो अभ्यर्थी को अपने मूल संगठन में अनुज्ञेय होती है ।

### 22. अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर कर्मचारिवृंद

- (क) केन्द्रीय सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों, यथास्थिति से विदेश सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन आधार पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की पूर्व सेवा की गणना, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार शासित होगी ।



**20. अभ्यर्थियों का चयन**

- (क) चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव चयन सूची में दिलाए गए योग्यता क्रमानुसार जारी किए जाएंगे, जिनमें एक समय अवधि भी निर्धारित की जाएगी जिसके भीतर अभ्यर्थी सेवा में अवश्य ही कार्यभार ग्रहण करेगा जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकाधिकार से बढ़ाया जा सकेगा।
- (ख) नियुक्ति प्रस्ताव के पत्र में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति से पूर्व की जाने वाली शर्त विनिर्दिष्ट की जाएंगी।
- (ग) यदि चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से पूर्व विहित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है अथवा कोई अभ्यर्थी विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियुक्ति प्रस्ताव को वापस ले सकेगा।
- (घ) सीधी भर्ती के आधार पर सभी नियुक्तियां चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के अध्वधीन होंगी।
- (ङ) जिस मामले में उपरोक्त खण्ड (ग) में विहित रीति से नियुक्ति प्रस्ताव वापस लिया जाता है तो नियुक्ति प्रस्ताव चयन सूची में योग्यता क्रम में ठीक निचले अभ्यर्थी को जारी किया जाएगा।

**अध्याय - 4****21. वेतन, भत्ते और सेवा की शर्त****21.1 अन्यत्र सेवा निबंधनों और अल्प अनुबंध आधार पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में वेतन नियतन**

प्रत्येक पद के संबंध में लागू वेतनमान और केन्द्रीय सरकार सेवा के तत्स्थानिक स्तरों को इन विनियमों के विनियम 5 में दिया गया है।

- (क) अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/आमेलन और अल्प अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के मामले में वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, यथाविहित मानक निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार नियत किया जाएगा।
- (ख) मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ते, परिवहन भत्ते, नगर प्रतिकर भत्ते, बाल शिक्षा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी, यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते, आवासीय टेलीफोन और समाचार पत्रों के बिलों की प्रतिपूर्ति उस रीति से की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, विहित करें।

### 17. चयन की पद्धति

चयन समिति छान-बीन किए गए अभ्यर्थियों की उषयुक्तता का निर्धारण करने के लिए लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा किसी अन्य पद्धति से चयन की पद्धति विहित कर सकेगी।

### 18. चयन समिति का गठन

अभ्यर्थियों की छंटाई करने और नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी।

(क) विनियम 5 में उल्लिखित केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' पदों के समतुल्य सभी पदों पर चयन करने के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

अध्यक्ष :	आयोग का अध्यक्ष
सदस्य :	आयोग के दो सदस्य
संयोजक :	आयोग का सचिव

टिप्पणी - चयन समिति का अध्यक्ष एक विषय विशेषज्ञ/आयोग के प्रभागाध्यक्ष को चयन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

(ख) विनियम 5 में उल्लिखित केंद्रीय सरकार के अधीन समूह 'ख' और 'ग' पदों के समतुल्य सभी पदों पर चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

अध्यक्ष :	आयोग का सचिव
सदस्य :	आयोग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रमुख/संयुक्त प्रमुख
संयोजक :	आयोग का सहायक सचिव(पी एण्ड ए)

(ग) विनियम 5 में उल्लिखित केंद्रीय सरकार के अधीन समूह "घ" पदों के समतुल्य सभी पदों पर चयन के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

अध्यक्ष :	आयोग का सहायक सचिव (पीएण्ड ए)
सदस्य :	आयोग का न्यायपीठ अधिकारी,
संयोजक :	आयोग का आहरण एवं संवितरण अधिकारी

### 19. अभ्यर्थियों की चयन सूची

चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी योग्यता क्रमानुसार व्यवस्थित अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा जो एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी जैसा नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (ख) ऐसे भत्ते, जो आयोग में तस्थानी प्रास्थिति के नियमित कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय नहीं हैं, अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय नहीं होंगे, चाहे ये भत्ते उनके मूल संगठन में अनुज्ञेय थे ।
- (ग) अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारी संबंधित भविष्य निधि में अंशदान के लिए पात्र होंगे जिसमें वे अपने मूल संगठन में अंशदान कर रहे थे । जहां प्रतिनियुक्त कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य हैं वहां आयोग प्रत्येक मामले में यथा लागू नियोक्ता के अंशदान के बराबर अंशदान करेगा ।
- (घ) जब आयोग यह अवधारित करता है कि प्रतिनियुक्त कर्मचारी की सेवाओं की आगे और आवश्यकता नहीं है तो उसे उसकी अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही उसके मूल विभाग को वापस भेज दिया जाएगा, जैसे ही प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के उसके मूल संवर्ग के समयपूर्व प्रत्यावर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके मूल मंत्रालय/विभाग तथा संबंधित कर्मचारी को पर्याप्त समय पूर्व अग्रिम संसूचना दिए जाने के पश्चात् उसकी सेवाएं वापस की जा सकेंगी ।

### 23. कर्मचारियों की तैनाती

- (क) किसी भी समय, कर्मचारियों की तैनाती उस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए निर्णय के अनुसार की जाएगी जो उस पद से कम वेतनमानवाले किसी भी पद पर तैनात नहीं होगा जिस पद पर कर्मचारिवृन्द के सदस्य की भर्ती की गई थी ।
- (ख) कर्मचारिवृन्द का कोई भी सदस्य एक पद से अधिक पद धारण कर सकेगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अन्यथा उपबंध के सिवाय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा ।

### अध्याय - 5

#### वार्षिक मूल्यांकन, अनुशासनिक कार्यवाहियां और शास्तियां

### 24. गोपनीय रिपोर्ट

कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में समय-समय पर, जारी अनुदेश आयोग द्वारा, उपयुक्त रूप से समाहित किए जाएंगे ।

### 25. अनुशासनिक कार्यवाहियां और शास्तियां अधिरोपित करना

आचरण, अनुशासन और शास्तियां अधिरोपित करने के मामले में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण और अपील

नियम, 1965 और केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी अनुदेश आयोग द्वारा उपयुक्त रूप से समाहित किए जाएंगे। प्रत्येक मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी इन विनियम के पैरा 3 (ड.) में यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

### अध्याय - 6 प्रकीर्ण

#### 26. प्रशिक्षण

- (क) कर्मचारियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है जो कि आयोग द्वारा विहित किया जाए।
- (ख) ऐसे किसी भी कर्मचारी को जिस पर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कदाचार का आरोप लगाया जाता है, प्रशिक्षण से हटा लिया जाएगा और उस पर उचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी जो नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझें। ऐसे मामलों में शास्ति में आयोग द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में व्यय की गई सशि की वसूली शामिल हो सकती है।

#### 27. सेवा की अन्य शर्तें

कर्मचारिवृन्द की सेवा की अन्य शर्तें जिनके बारे में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं बनाया गया है, वे होंगी, जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारिवृन्द के लिए अनुज्ञेय हैं।

#### 28. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग लोकहित में और कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने और केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को शिथिल कर सकेगा।

#### 29. निर्वचन

यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिशिष्ट - 1

अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध  
द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए शैक्षिक  
अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा

क्रम सं.	पद	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	अनुभव का प्रकृति	अर्हक सेवा
1	2	3	4	5	6
1.	सचिव	18400-500-22400 रुपये	स्नातक उपाधि	केंद्रीय सरकार में सचिवालयीय कार्यकरण में अनुभव होना चाहिए और इसके साथ-साथ राज्य सरकारों के कार्यकरण का अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। विनियमों और अवसंरचनात्मक प्रबंधन में पूर्व अनुभव और जानकारी को अधिमानता दी जाएगी।	ऐसे अधिकारी :- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 के वेतनमान या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 14300-18300 या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है।
2.	प्रमुख (चीफ) (आर्थिक)/ संयुक्त प्रमुख (आर्थिक)	प्रमुख 18400-500-22400 रूपए  संयुक्त प्रमुख: 14300-400-18300 रूपए	अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि (पी.एच.डी.)  अर्थशास्त्र में डाक्टरेट की उपाधि	विनियामक अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग, मांग, पूर्वानुमान या प्रतिरूपण में अनुभव  विनियामक अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग, मांग, पूर्वानुमान या प्रतिरूपण में अनुभव	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारी, प्रमुख (चीफ) के पद के लिए :- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 16400-20000 रूपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 14300-18300 रूपए के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

					संयुक्त प्रमुख के पद के लिए : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है ; या (ii) जिन्होंने 12000-16500 रुपये के या उसके समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो ; या (iii) जिन्होंने 10000-15200 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है ।
3.	प्रमुख/संयुक्त प्रमुख (चीफ/ज्वाइंट चीफ) (इंजीनियरिंग)	- यथोक्त -	इंजीनियरी में डिग्री	पारेषण, उत्पादन, प्रणाली आयोजना तथा प्रचालन में अद्यतन प्रौद्योगिकीय परिवर्धनों के बारे में पूर्ण जानकारी और विशेष रूप से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के बारे में पूर्णतः ज्ञान होना । इन में से किसी भी क्षेत्र में हैन्डस ऑन और अभिकल्प तथा आयोजना, दोनों में ही अनुभव रखना ।	- यथोक्त -
4.	प्रमुख/संयुक्त प्रमुख (चीफ/ज्वाइंट चीफ) (वित्त)	- यथोक्त -	वित्त में एम बी ए या प्रमाणित चार्टर्ड लेखाकार या प्रमाणित लागत लेखाकार अधिमानतः इंजीनियरी में डिग्री के साथ ।	टैरिफ निर्धारण या लागत विश्लेषण या वित्तीय प्रबंधन में अनुभव ।	- यथोक्त -
5.	प्रमुख/संयुक्त प्रमुख (चीफ/ज्वाइंट चीफ) (विधि)	- यथोक्त -	विधि में डिग्री अधिमानतः विनियमन में विशेषज्ञता	न्यायिक/अर्धन्यायिक, कानूनी मामलों, जिनमें कार्यवाहियां, याचिकाएं, अभिवचन, मामलों को सूचीबद्ध करना आदि शामिल हैं, में अनुभव	- यथोक्त -

6.	उपप्रमुख (डिप्टी चीफ) (एम.आई.एस.)	12000-375- 18000 रुपये	कम्प्यूटर/संचार/ टेक्नोलॉजी में बी.ई./बी.टेक अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा सहित/अथवा बी.ई./बी.टेक या विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री	कम्प्यूटर सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी का और एम.आई.एस. सुविधाएं के प्रबंधन में अनुभव ।	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारी:- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने 10,000- 15,200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 8000- 13500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।
7.	उप प्रमुख (डिप्टी चीफ) (आर्थिक)	- यथोक्त -	अर्थमिति (इकोनोमीट्रिक्स) में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या प्रचालन अनुसंधान में विशेषज्ञता सहित गणित में स्नातकोत्तर डिग्री या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	विनियामक, अर्थशास्त्र का अनुप्रयोग, मांग, पूर्वानुमान और प्रतिरूपण में अनुभव ।	- यथोक्त -
8.	उप प्रमुख (डिप्टी चीफ) (इंजीनियरी)	- यथोक्त -	संभरक (फीडर) सेवाओं से प्रोन्नत सैंट्रल पॉवर इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवाओं के सदस्यों के लिए इंजीनियरी में डिप्लोमा रखने की छूट के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री ।	प्रणाली आयोजना तथा प्रचालन पारेषण, अनुक्षण तथा प्रचालन, गैस उत्पादन प्रौद्योगिकियों, कोयला, ताप विद्युत अथवा जल विद्युत में हैंड्स आन तथा अभिकल्प एवं आयोजना में अनुभव, विशेष रूप से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की जानकारी होना ।	- यथोक्त -
9.	उप प्रमुख (डिप्टी चीफ) (वित्त)	- यथोक्त -	वित्त में एम.बी.ए. या प्रमाणित चार्टर्ड लेखाकार अथवा चार्टर्ड	टैरिफ निर्धारण या लागत विश्लेषण अथवा वित्तीय प्रबंधन में अनुभव	- यथोक्त -

			लागत लेखाकार अधिमानतः इंजीनियरी की डिग्री के साथ		
10.	उप प्रमुख (डिप्टी चीफ) (पर्यावरण)	- यथोक्त -	पर्यावरणिक इंजीनियरी में अथवा पर्यावरणिक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।	पर्यावरण संबंधी नीति निर्धारण करने आर्थिक लागत लाभ विश्लेषण करने में अनुभव तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों, विनियमों और संस्थागत डिजाइन का पूर्ण ज्ञान।	- यथोक्त -
11.	उप प्रमुख (डिप्टी चीफ) (उपभोक्ता एवं जनसंपर्क)	- यथोक्त -	संचार अथवा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री।	मीडिया प्रबंधन, कार्य पत्रकारिता तथा जनसंपर्क प्रबंधक के पद पर अनुभव	- यथोक्त -
12.	उप प्रमुख (विनियामक कार्यालय)	- यथोक्त -	स्नातक डिग्री वित्त में एम.बी.ए. या विनियम में स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष को अधिमानता दी जाएगी।	जिसके पास विनियामक आयोगों से संबंधित नीति विषयक, विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी तथा समकक्ष विशेषकर विनियामकों सुधारों का पर्याप्त अनुभव हो।	- यथोक्त -
13.	एकीकृत वित्त सहायकार	- यथोक्त -	वाणिज्य में स्नातक डिग्री। एस.ए.एस. उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले का अधिमानता दी जाएगी।	जिसके पास केंद्रीय सरकार लेखांकन प्रक्रिया का ज्ञान/अनुभव हो, जैसे बजट तथा व्यय के लिए प्रक्रियात्मक ब्यौरे, आहरण तथा संवितरण, प्राप्तियां तथा संदाय, कानूनी वसूलियां, जमा आदि उनका लेखांकन तथा वित्तीय नियंत्रण आदि और वित्तीय नियमों/विनियमों, जिसमें जीएफआर, वित्तीय का प्रत्यायोजन नियम, एफ आर एस आर सम्मिलित है, तथा संबंधित वित्तीय विषयों के नियमों तथा आदेशों की जानकारी हो	- यथोक्त -



14.	सहायक प्रमुख (एसिसस्टेंट चीफ) (आर्थिक)	10000-325- 15200 रुपये	अर्थमिति में विशेषज्ञता सहित अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री या प्रचालन एवं अनुसंधान में विशेषज्ञता सहित गणित में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	विनियामक अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग, मांग, पूर्वानुमान या प्रतिरूपण में अनुभव	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारी: - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 4 वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 7500-12000 रुपये या 7450-11500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा की है; या (iv) जिन्होंने 6500-10500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की है।
15.	सहायक प्रमुख (एसिसस्टेंट चीफ) (इंजीनियरिंग)	- यथोक्त -	फीडर सेवा से प्रोन्नत सेंट्रल पॉवर इंजीनियरिंग (समूह क) सेवाओं के सदस्यों के लिए इंजीनियरी में डिप्लोमा प्राप्त होने की रियायत के साथ इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	प्रणाली आयोजना तथा प्रचालन, पारेषण, अनुस्क्षण और प्रचालन, गैस उत्पादन प्रौद्योगिकियों, कोयला ताप विद्युत या जल विद्युत उत्पादन में हैडस आन अनुभव, अधिमानतः तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की पूर्ण जानकारी।	- यथोक्त -
16.	सहायक प्रमुख (एसिसस्टेंट चीफ) (वित्त)	- यथोक्त -	वित्त में एम.बी.ए. या प्रमाणित लागत लेखाकार अथवा प्रमाणित लागत लेखाकार, अधिमानतः इंजीनियरी में डिग्री के साथ	टैरिफ निर्धारण अथवा लागत विश्लेषण या वित्तीय प्रबंधन में अनुभव	- यथोक्त -

17.	सहायक प्रमुख (लेखा)	- यथोक्त -	बैचलर डिग्री, एस.ए.एस./जे.ए. ओ. (सिविल) परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को वरीयता दी जाएगी	जिसके पास केंद्रीय सरकार लेखांकन प्रक्रिया का अनुभव हो जैसे बजट, आहरण तथा संवितरण, प्राप्ति तथा संदाय, कानूनी वसूलियां, निधियां आदि, उनके लेखांकन तथा वित्तीय नियंत्रण के प्रक्रियात्मक ब्यारे	- यथोक्त -
18.	न्यायपीठ अधिकारी (बेंच ऑफिसर)	- यथोक्त -	विधि में डिग्री	न्यायिक/अर्ध न्यायिक मामलों, जिनमें कार्यवाहियां, यादिकाएं, अभिवचन मामलों की सूचीबद्ध करवाना आदि सहित शामिल हैं, में अनुभव	- यथोक्त -
19.	सहायक प्रमुख एसिसटेंट चीफ (एम.आई.एस.)	- यथोक्त -	कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित विज्ञान में डिग्री	कम्प्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी और एम.आई.एस. सुविधाओं के प्रबंधन में अनुभव	- यथोक्त -
20.	सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन)	- यथोक्त -	स्नातक डिग्री	केन्द्र सरकार में सचिवालयीय कार्य में अर्थात् सामान्य प्रशासन मामलों, कार्मिक प्रबंधन, अनुशासन बनाए रखने से संबंधित मामलों में अनुभव होना जरूरी है और कार्यालय प्रमुख होने के परिणामस्वरूप उसे यथा संभव मामलों को अपनी जिम्मेवारी पर निपटान करना चाहिए।	- यथोक्त -
21.	सहायक सचिव (विनियामक मंच)	- यथोक्त -	वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर के साथ स्नातक डिग्री	जिसके पास विनियामक आयोगों से संबंधित विषयों, विद्युत क्षेत्र का ज्ञान तथा समझ विशेषकर विनियामक सुधारों से संबंधित विषयों का अनुभव हो	- यथोक्त -
22.	प्रधान निजी सचिव	- यथोक्त -	कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए	सचिवालयीय कर्मचारी के रूप में कार्य करने	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारी: -

			एम.एस. ऑफिस का प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए ।	का अनुभव	(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने 8000-13500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 7500-12000 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iv) जिन्होंने 7450-11500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 7 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (v) जिन्होंने 6500-10500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है ।
23.	वेतन तथा लेखा अधिकारी/ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	8000-275-13500	स्नातक डिग्री, वाणिज्य वाले को वरीयता दी जाएगी ।	केंद्रीय सरकार की लेखा प्रक्रिया जैसे कि बजट के संबंध में प्रक्रियात्मक ब्यौरे, आहरण एवं संवितरण, प्राप्तियां और संदेय सांविधिक वसूलियां, निधियां आदि के बारे में ज्ञान रखना और उनके लेखा रखना और वित्तीय नियंत्रण के बारे में अनुभव	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति:- (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 5000-8000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में 6 वर्षों की नियमित सेवा की है ; (iv) जिन्होंने 4500-7000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है ।

24.	निजी सचिव	6500-200-10500 रूपये	कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और एम.एस. ऑफिस का प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए	सचिवालय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति: - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रूपये या समतुल्य वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हैं ; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रूपये या समतुल्य वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा की है । (iv) जिन्होंने 4000-6000 रूपए या समतुल्य वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है ।
25.	सहायक	5500-175-9000 रूपये	विशेष रूप से कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और एम.एस. ऑफिस का प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए	स्थापना/प्रशासन/लेखा कार्य में अनुभव होना चाहिए ।	केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति: - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रूपये या समतुल्य वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हैं ; या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रूपये या समतुल्य वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा की है । (iv) जिन्होंने 4000-6000 रूपए या समतुल्य वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है ।

**परिशिष्ट - 2**

**सीधी भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड**

1. **वैयक्तिक सहायक** : जिसने उच्चतर माध्यमिक (10+2) की परीक्षा पास हो और भारत सरकार के उप सचिव के समतुल्य अधिकारियों और कार्यपालकों के निजी कार्यालयों के प्रबंधन में संगत अनुभव होना चाहिए, फाइलों के रख-रखाव की पद्धति, अभिलेख प्रबंधन, मिलने वालों के लिए समय-सूची निर्धारित करने का ज्ञान होना चाहिए और यात्रा संबंधी कार्यक्रमों की जानकारी होनी चाहिए ।

**आयु सीमा:** आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

2. **आशुलिपिक (स्टैनो) :** जिसे हाई स्कूल पास होना चाहिए। कम्प्यूटर पर सीधे ही आशुलिपि में डिक्टेसन लेने में अत्यधिक निपुणता होनी चाहिए। फाइलों को रखने की पद्धति और अभिलेख प्रबंधन के कार्य की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए और एक समूह के रूप में कार्य करने की प्रामाणिक क्षमता होनी चाहिए।

**आयु सीमा:** आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

3. **स्वागतकर्ता एवं टेलीफोन आपरेटर:** जिसे हाई स्कूल पास होना चाहिए। अभ्यर्थी का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए और उसमें आपस में बातचीत हेतु वाक पटुता होनी चाहिए। उच्च सघनता के इलेक्ट्रानिक और श्रव्य संदेशों के संबंध में उचित कार्रवाई करने की प्रामाणिक क्षमता रखना एक बहुत बड़ा गुण होगा। अभ्यर्थी को टेलीफोन स्विच बोर्ड के प्रबंधन, डाक प्राप्ति/प्रेषण, छुट्टी अभिलेखों को रखने और आगंतुकों का स्वागत करने के बारे में संगत अनुभव होना तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी बोलने में प्रवीणता होना अनिवार्य है।

**आयु सीमा:** आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

4. **ड्राइवर:** जिसे 8वीं पास होना चाहिए और वृत्तिक ड्राइवर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए जिसके लिए उसके नाम पर विचार किया जा रहा है। उसमें लॉग बुक भरने और रिकार्ड रखने की योग्यता होनी चाहिए।

**आयु सीमा:** आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

5. **चपरासी:** जिसे आठवीं कक्षा पास होना चाहिए । बोली गई और लिखी गई हिन्दी को समझने का ज्ञान होना आवश्यक होगा और अंग्रेज़ी की जानकारी होना अपेक्षित है ।

आयु सीमा: आवेदक की आयु रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख को 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए । तथापि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों आदि के आवेदकों के लिए सामान्य छूट सरकार के लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

**परिशिष्ट - 3**

**प्रोन्नति आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदण्ड**

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	अनुभव का स्वरूप	अर्हक सेवा (आयोग के आमेलन की तारीख से)
1.	प्रधान निजी सचिव	10,000-325-15,200 रुपये	सचिवालय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव	6500-10500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा ।
2.	निजी सचिव	6500-200-10500 रुपये	सचिवालय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव	5500-9000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा ।
3.	वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000 रुपये	सचिवालय कर्मचारी के रूप में कार्य करने का अनुभव	4000-6000 रुपये के या इसके समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा ।
4.	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2610-60-3150-65-3540 रुपये	बोली जाने वाली और लिखे जाने वाली हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ-साथ बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली अंग्रेज़ी की जानकारी होनी चाहिए । फाइल संचालन, डाक प्राप्ति/जारी करने का ज्ञान और रिकार्ड कक्ष और न्यायालय प्रक्रिया में सहायता देना ।	2550-3200 रुपये के या समतुल्य वेतनमान के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

रविन्द्र, प्रमुख (इंजीनियरिंग)

[विज्ञापन III/IV/असा./150/2007]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2007

**Service Regulations for Staff of the Commission**

**F.No.2/2(1)/2006-CERC.**—In exercise of powers conferred by Section 91 (3) of the Electricity Act, 2003 and in supersession of Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations 2002 as well as Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations 2007 dated 15.03.2007, the Central Electricity Regulatory Commission, with the approval of the Central Government, do hereby make the following regulations, namely:-

**CHAPTER I****PRELIMINARY****1. Short Title and Commencement -**

- a. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007.
- b. These regulations shall come into force from the date of publication of notification in the official gazette.

**2. Application -** These regulations shall apply to staff of Central Electricity Regulatory Commission mentioned in regulation 5 of these regulations:-

Provided that every officer or other employee of the Commission appointed to a post before the commencement of these regulations and performing duties attached to the post, shall on such commencement be deemed to have been appointed under the relevant provisions of these regulations to the same post as he was holding immediately before such commencement.

**3. Definitions -**

In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Electricity Act 2003;
- (b) "Appointing Authority", means -
  - (i) Chairperson, in respect of all posts equivalent to Group A posts under the Central Government
  - (ii) Secretary in respect of all posts equivalent to Group B and C posts under the Central Government and
  - (iii) Assistant Secretary in respect of all posts equivalent to Group D posts under the Central Government
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
- (d) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission;
- (e) "Disciplinary Authority" means -

- (i) Chairperson, in respect of all posts equivalent to Group A posts under the Central Government
- (ii) Secretary in respect of all posts equivalent to Group B and C posts under the Central Government
- (iii) Assistant Secretary in respect of all posts equivalent to Group D posts under the Central Government.
- (f) "Function" means and includes all work related to activities of the Commission;
- (g) "Member" means a Member of the Commission;
- (h) "Staff" includes both officers and employees of all categories appointed whether on Deputation on foreign service terms or permanent absorption or on short-term contract basis;
- (i) "Short term Contract" means the method of recruitment of officers belonging to Non-Government organizations e.g. Universities, recognized research institutions, public sector undertakings etc. on Deputation on foreign service terms to the Commission for a limited period.

Words and expressions used in these regulations but not defined, shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

## CHAPTER II

### CLASSIFICATION OF POSTS/SANCTIONED STRENGTH

4. **Classification of Posts** - The posts in the Commission shall be classified as follows:-

Sl. No	Description	Classification of Posts
1.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs.13,500.	Equivalent to Group "A"
2.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs.9,000 but less than Rs.13,500.	Equivalent to Group "B"
3.	A post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs.4,000 but less than Rs.9,000	Equivalent to Group "C"
4.	A post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs.4,000 or less.	Equivalent to Group "D"

5. **Sanctioned Strength** -

The sanctioned posts in the Commission shall be categorised in different pay scales as given in the table below, indicating the corresponding levels in the Central Government against each category.:-

Post	Scale of Pay	Equivalent Level under the Central Government	No. of Posts
1	2	3	4
Secretary	Rs. 18400-500-22400	Joint Secretary	1
Chief	Rs. 18400-500-22400	Joint Secretary	4
Joint Chief	Rs. 14300-400-18300	Director	5



Deputy Chief	Rs. 12000-375-18000	Deputy Secretary	13
Integrated Financial Adviser	Rs. 12000-375-18000	Deputy Secretary	1
Assistant Secretary	Rs. 10000-325-15200	Under Secretary	2
Assistant Chief	Rs. 10000-325-15200	Under Secretary	16
Bench Officer	Rs. 10000-325-15200	Under Secretary	2
Principal Secretary	Private Rs. 10000-325-15200	Principal Private Secretary	4
Pay & Accounts Officer/ Senior Accounts Officer	Rs. 8000-275-13500	Senior Accounts Officer	2
Private Secretary	Rs. 6500-200-10500	Private Secretary	5
Assistant	Rs. 5500-175-9000	Assistant	6
Personal Assistant	Rs. 5500-175-9000	Personal Assistant	7
Stenographer	Rs. 4000-100-6000	Stenographer	4
Receptionist-cum - Telephone operator	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Lower Division Clerk	1
Driver	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Driver	4
Senior Peon/Daftry	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Daftry	2
Peon	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Peon	4
<b>Total</b>			<b>83</b>

#### 6. Mode of appointment -

Appointments against the sanctioned posts in the Commission may be made either through direct recruitment or on short-term contract basis or on Deputation on foreign service terms or on promotion basis as under:

Post	Mode of appointment
Secretary	Deputation on foreign service terms
Chief	Deputation on foreign service terms including short-term contract
Joint Chief	Deputation on foreign service terms including short-term contract
Deputy Chief	Deputation on foreign service terms including short-term contract
Integrated Financial Adviser	Deputation on foreign service terms*
Assistant Secretary	Deputation on foreign service terms.
Assistant Chief	Deputation on foreign service terms including short-term contract
Bench Officer	Deputation on foreign service terms
Principal Private Secretary	Promotion failing which by Deputation on foreign service terms
Pay & Accounts Officer/ Senior Accounts Officer	Deputation on foreign service terms
Private Secretary	Promotion failing which by Deputation on foreign service terms
Assistant	Deputation on foreign service terms
Personal Assistant	Promotion failing which by Direct Recruitment
Stenographer	Direct Recruitment
Receptionist-cum-telephone operator	Direct Recruitment
Driver	Direct recruitment
Senior Peon/Daftry	Promotion
Peon	Direct recruitment

The appointment on short-term contract basis shall be made initially for a period of five years. Extension beyond this period would be considered in consultation with the Department of Personnel & Training

The appointment on Deputation on foreign service terms basis shall be made initially for a period of five years. Extension beyond this period would be considered in consultation with the Department of Personnel & Training.

The Officers and staff appointed on a regular basis in the Commission immediately before the commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations.

Provided that the staff appointed on Deputation on foreign service terms and willing to get permanently absorbed in the Commission, may on completion of two years of Deputation on foreign service terms exercise their option for permanent absorption in the Commission and the appointing authority may in its discretion, take such decision, as it considers appropriate.

**7. Allocation of posts -**

The inter-se allocation of the sanctioned posts among different functional areas shall be as decided by the Commission from time to time.

**8. Power to keep posts vacant -**

Nothing in regulation 5 shall be construed as requiring the Commission to have at all times, staff serving in all the categories or posts.

### CHAPTER III

#### PROCEDURE FOR RECRUITMENT AND APPOINTMENT

**9. Appointing Authority -**

All appointments of staff shall be made by the appointing authority as specified in clause (b) of regulation 3 of these regulations.

**10. Eligibility criterion for Deputation on foreign service terms -**

The eligibility criterion for Deputation on Foreign Service terms shall be as given in Appendix - I.

**11. Eligibility criterion for direct recruitment -**

The eligibility criterion for appointment by direct recruitment shall be as given in Appendix - II.

The persons appointed through direct recruitment shall be on probation for a period of two years and shall be governed by guidelines issued by Department of Personnel & Training (DOR&T) in this regard.

**12. Eligibility criterion for Short-term contract appointment -**

The eligibility criterion for short-term contract appointment shall be as given in Appendix-I.

**13. Eligibility criterion for appointment on promotion basis -**

The eligibility criterion for appointment on promotion basis shall be as given in Appendix-III.

The persons appointed on promotion basis shall be on probation for a period of two years and shall be governed by guidelines issued by DOP&T in this regard.

**14. Announcement of vacancies -**

The Commission shall announce in such manner, as it deems fit the number of vacancies to be filled by Deputation on foreign service terms/short-term contract basis or through direct recruitment and invite applications for appointment in the Commission. In the case of Deputation on foreign service terms the vacancies shall be circulated to all the departments, attached offices and subordinate offices of the Central Government and on short-term contract basis also from non-government organisations e.g. Universities, recognised research institutions, public sector undertakings etc. on Deputation on foreign service terms to the Commission for a limited period. The Commission may also publicise such vacancies through the issue of such advertisements, as it deems fit. In the case of appointment by direct recruitment wide publicity shall be given to the vacancies through the print media.

**15. Prescription of forms and conditions for application -**

The Commission may prescribe, as it deems fit, the form in which application shall be submitted, the documents and certificates to be submitted with the application, the mode of submission, the last date for receipt of applications and the designated officer for submission of applications.

**16. Processing of Application -**

The Selection Committee shall consider the applications received in the Commission and may shortlist candidates, based on the requirements of the job and the curriculum vitae of the candidates, for further processing.

**17. Mode of selection -**

The Selection Committee may prescribe the mode of selection including written test or interview or any other method, for assessing the suitability of the shortlisted candidates.

**18. Constitution of Selection Committee -**

There shall be a Selection Committee for short listing the candidates and making recommendations for appointment.

- (a) For selection to all the posts equivalent to Group A posts under the Central Govt. mentioned in regulation 5, the Selection Committee shall consist of the following :-

Chairman: Chairperson of the Commission.

Members: Two Members of the Commission.

Convenor: Secretary of the Commission.

**Note:** Chairman of the Selection Committee may also co-opt one subject-specialist/Head of the Division of the Commission as a member of the Selection Committee.

- (b) For selection to all posts equivalent to Group B and C posts under the Central Govt. mentioned in regulation 5, the Selection Committee shall consist of the following :-

Chairman: Secretary of the Commission.

Member: Two Chiefs/Joint Chiefs nominated by the Secretary of the Commission.

Convenor: Assistant Secretary (P&A) of the Commission.

- (c) For selection to all posts equivalent to Group D posts under the Central Government mentioned in regulation 5, the Selection Committee shall consist of the following: -

Chairman: Assistant Secretary (P&A) of the Commission.

Member: Bench Officer of the Commission.

Convenor: Drawing & Disbursing Officer of the Commission

**19. Select list of candidates -**

On the recommendation of the Selection Committee the appointing authority shall prepare a select list of candidates arranged in order of merit which shall remain valid for a period of one year or for such extended period as the appointing authority may specify.

**20. Selection of candidates -**

- a. Offers of appointment to candidates on the select list shall be issued in the order of merit shown in the select list specifying a time limit within which the candidate must join service, which may be extended at the discretion of the Appointing Authority.
- b. The letter of offer of appointment shall specify the conditions to be fulfilled by the candidate, prior to appointment.
- c. The appointing authority may withdraw its offer of appointment if the selected candidate fails to fulfill any of the conditions prescribed prior to appointment or if the candidate fails to join service within the specified time.
- d. All appointments by direct recruitment shall be subject to verification of character and antecedents.
- e. Where an offer of appointment is withdrawn, in the manner prescribed in clause(c) above, an offer of appointment shall be issued to the candidate next below in the order of merit in the select list.

**CHAPTER IV****21. PAY, ALLOWANCES AND CONDITIONS OF SERVICE****21.1. Pay fixation in respect of Deputationist on foreign service terms and Short-term contract -**

The scale of pay applicable and the corresponding levels of the Central Government service against each post are set out in regulation 5 of these regulations.

- a. In the case of appointments on Deputation on foreign service terms/absorption and short-term contract, the pay shall be fixed as per the standard terms and conditions as prescribed by the Central Government from time to time.
- b. Dearness Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, City Compensatory Allowance, Children Education Allowance, Leave Travel Concession, Leave, Travelling Allowance/Dearness Allowance, Residential Telephone and reimbursement of Newspapers bills - shall be as prescribed by the Central Government from time to time.
- c. Pension/Provident Fund - The provisions of Pension /General Provident Fund as applicable to Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff of the Commission absorbed permanently.
- d. Medical facilities shall be admissible in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Medical facilities) Regulations, 2005.
- e. Any other allowances available in Central Government shall accordingly be admissible as per Central Government rules.

**21.2. Pay fixation (direct recruitment) -**

The determination of pay and other allowances for the persons appointed through direct recruitment will be as per the Central Government rules. The provisions of Pension /General Provident Fund as applicable to the Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff appointed on direct recruitment basis.

**21.3. Pay fixation (Promotions)**

The determination of pay and other allowances for the persons appointed through promotion will be as per the Central Government rules. The provisions of Pension/General Provident Fund as applicable to Central Government servants of corresponding level shall apply to the staff appointed on promotion.

**21.4. Finalization of terms and conditions on Deputation on foreign service terms/short-term contract:-**

Deputation on foreign service terms and conditions (other than scale of pay) shall be decided mutually between CERC and lending organization. The

terms of service, e.g in relation to Leave Salary contribution, gratuity, pension contribution, CPF, may, with the approval of the Chairperson be allowed as admissible to a candidate in his/her parent organization.

**22. Staff on Deputation on foreign service terms/absorption -**

- a. The counting of past service of all staff members on Deputation on foreign service terms or absorption basis from Central Government/Public Sector Undertakings/Autonomous bodies, as the case may be, shall be governed as per instructions issued by Department of Personnel & Training from time to time.
- b. Such allowances as are not admissible to the regular employees of corresponding status in the Commission, shall not be admissible to the officer on Deputation on foreign service terms, even if they were admissible in the parent organization.
- c. Staff joining on Deputation on foreign service terms shall be eligible for contribution to the respective Provident Fund to which they are subscribing in their parent organization. Where a Deputationist has been a member of a Contributory Provident Fund the Commission shall bear the cost of the employers contribution as applicable in each case.
- d. When the Commission determines that the services of the Deputationist are no longer required, he will be repatriated to his parent department even before completion of his sanctioned period of Deputation on foreign service terms as and when a situation arises for premature reversion to the parent cadre of the Deputationist, his services could be so returned after giving advance intimation of reasonable period to the lending Ministry/Department and the employee concerned.

**23. Placement of staff -**

- a. The posting of staff, at any time, shall be as decided by the appointing authority in any post, not lower in the scale of pay than the post for which the staff member was recruited.
- b. A staff member may hold more than one post for which no extra remuneration shall be paid except as otherwise provided by the Central Government.

**CHAPTER V**

**ANNUAL ASSESSMENTS, DISCIPLINARY PROCEEDINGS AND PENALTIES**

**24. Confidential reports -**

In the matter of the annual confidential reports of staff, the instructions issued by the Central Government from time to time in regard to Central Government employees will be suitably adapted by the Commission.

**25. Disciplinary proceedings and imposition of penalties -**

In the matter of conduct, discipline and imposition of penalties, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Control, Classification and Appeal) Rules, 1965 and the instructions issued by the Central Government from time to time will be suitably adapted by the Commission. The disciplinary authority in each case will be as specified in paragraph 3(e) of these regulations.

**CHAPTER VI****MISCELLANEOUS****26. Training -**

- a. Staff may be required to undergo such training as may be prescribed by the Commission.
- b. A staff member charged with misconduct during the period of training may be withdrawn from training and should be liable for appropriate disciplinary proceedings, as the appointing authority deems fit. Penalty in such cases may include recovery of the amount spent on the training by the Commission.

**27. Other conditions of service -**

Other conditions of service of the Staff with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to staff of the Central Government drawing an equivalent pay.

**28. Power of Relaxation -**

The Commission may in the public interest and after recording reasons in writing and obtaining approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations.

**29. Interpretation -**

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it will be referred to the Central Government for examination and decision of the Central Government will be final.

## APPENDIX-I

## EDUCATIONAL QUALIFICATION, EXPERIENCE AND QUALIFYING SERVICE FOR STAFF ON DEPUTATION ON FOREIGN SERVICE TERMS /SHORT-TERM CONTRACT

S.N	Post	Scale of Pay	Minimum Educational Qualification	Nature of Experience	Qualifying Service
1	2 Secretary	3 Rs.18400-500-22400	4 Graduate Degree	5 Must have experience in secretariat functioning in the Central Government as well as experience and knowledge of the functioning of State Governments. Prior experience and exposure to regulation and infrastructure management will be preferable.	6 Officers :- i. Holding analogous posts on regular basis; or ii. With 2 years regular service in the scale of Rs.16400-20000 or equivalent; or iii. With 3 years regular service in the scale of Rs.14300-18300 or equivalent.
2.	Chief (Economics) / Joint Chief (Economics)	Chief : Rs.18400-500-22400 Joint Chief : Rs.14300-400-18300	Ph.D in Economics Ph.D in Economics	Application of regulatory economics, demand forecasting or modeling. Application of regulatory economics, demand forecasting or modeling.	Officers under the Central Government :- For the post of Chief : i. Holding analogous posts on regular basis; or ii. With 2 years regular service in the scale of Rs.16400-20000 or equivalent; or iii. With 3 years regular service in the scale of Rs.14300-18300 or equivalent.



						For the post of Joint Chief : i. Holding analogous posts on regular basis; or ii. With 3 years regular service in the scale of Rs.12000-16500 or equivalent; or iii. With 8 years regular service in the scale of Rs.10000-15200 or equivalent.
3.	Chief/Joint Chief (Engineering)	Chief: Rs.18400-500-22400 Joint Chief: Rs.14300-400-18300	Degree in Engineering Degree in Engineering	Familiarity with the latest technological developments in transmission, generation system planning and operation and preferably familiarity with techno-economic appraisal. Experience in any of these areas both hands on as well as design and planning.	- do -	
4.	Chief/Joint Chief (Finance)	Chief: Rs.18400-500-22400 Joint Chief: Rs.14300-400-18300	MBA in Finance or certified Chartered Accountant or certified Cost Accountant preferably with Engineering Degree.	Tariff formulation or cost analysis or financial management	- do -	
5.	Chief/Joint Chief (Legal)	Chief: Rs.18400-500-22400 Joint Chief: Rs.14300-400-18300	Degree in Law preferably specialisation in regulation	Judicial/ Quasi-Judicial legal matters including proceedings, petitions, pleadings, listing of the case laws etc.	- do -	

3349 GI/07-5

6.	Deputy Chief (MIS)	Rs.12000-375-18000	BE/B.Tech. Computer/ Communications Tech. or BE/B.Tech. with a Post Graduate Diploma in Computer Applications or Post Graduate Degree in Computer Application with Graduate Degree in Science	Management of Computer, IT (Information Technology) and MIS facilities	Officers under the Central Government : i. Holding analogous posts on regular basis; or ii. With 3 years regular service in the scale of Rs.10000-15200 or equivalent; iii. With 7 years regular service in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent.
7.	Deputy Chief (Economics)	Rs.12000-375-18000	Post Graduate Degree in Economics with specialisation in Econometrics or Post Graduate Degree in Mathematics with specialisation in O.R. (Operations Research) or Post Graduate Degree in Statistics	Application of regulatory Economics, demand forecasting or modelling	Officers under the Central Government : i. Holding analogous posts on regular basis; or ii. With 3 years regular service in the scale of Rs.10000-15200 or equivalent; or iii. With 7 years regular service in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent.
8.	Deputy Chief (Engineering)	Rs.12000-375-18000	Graduate Degree in Engineering with a relaxation to Diploma in Engineering for members of the Central Power Engineering (Group 'A') Services promoted from feeder services.	Hands-on as well as design and planning experience in system planning and operation, transmission maintenance and operation, gas generation technologies, coal thermal or hydro power, preferably familiarity with techno-economic appraisal	- do -
9.	Deputy Chief (Finance)	Rs.12000-375-18000	MBA in Finance or Chartered	Tariff formulation or cost analysis or financial management	